UPMP010009922026

न्यायालय ADJ I, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (Sri Achchhe Lal Saroj), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06134**

फौजदारी प्रकीर्ण सं० 95/2026

सरोज बनाम राज्य

दिनांक– 12.03.2026

आदेश

1. प्रार्थिया श्री सरोज पत्नी रामबाबू निवासी अंगूरी बाग फतेहगढ़ जिला फर्रूखाबाद के द्वारा प्रार्थना पत्र बावत मु.अ.स. 321/25 अंतर्गत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस एक्ट व धारा 207 एम.वी एक्ट थाना बिछवां जिला मैनपुरी के अभियोग मे थाना हाजा पर निरूद्ध वाहन मोटर साईकिल बुलेट, सं० UP 76 AQ 2964 का वाहन स्वामिनी होना बताते हुये उक्त वाहन को अवमुक्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है।

2. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रश्नगत माल को माल मुकदमाती बताते हुये रिलीज का विरोध किया गया तथा प्रार्थना पत्र निरस्त करने का कथन किया गया।

3. प्रार्थना पत्र पर संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी।

4. आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विद्वान विशेष सहायक शासकीय अधिवक्ता एवं आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा थाने की आख्या का अवलोकन किया।

5. आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसके पुत्र नितिन बाबू को दिनांक 13.06.2025 को फर्रूखाबाद घर से बुलाकर बघार के पुल से मय उपरोक्त बुलेट मोटर साईकिल के साथ एस.ओ.जी टीम पूंछतांछ के लिये पकड़ कर लायी थी। वह उपरोक्त बुलेट मोटरसाईकिल सं. UP 76 AQ 2964, रंग काला की पंजीकृत स्वामिनी है तथा एस.ओ.जी टीम ने मैनपुरी लाकर दिनांक 14.09.2025 की रात्रि में मनगढ़ंत कहानी रचकर उसके पुत्र को राजू उर्फ सत्येंद्र का साथी बताते हुये झूंठा स्मैक का मुकदमा बिछवां थाना की पुलिस से साज कर लगा कर जेल भेज दिया है। उसके पुत्र की जमानत न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है। प्रार्थिया अपनी मोटर साईकिल रिलीज हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। अत: उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायहित में उसके उपरोक्त मोटर साईकिल को उसके हक में रिलीज किया जाना आवश्यक है।

6. धारा एन.डी.पी.एस के तहत वाहन अवमुक्त किये जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायाय द्वारा **क्रिमिनल अपील नं. 2562/24, पुखराज बनाम राजस्थान राज्य 2024 LiveLaw (SC) 395, दिनेश बनाम तामिलनाडु राज्य, विश्वजीत देय बनाम आसम राज्य, क्रिमिनल अपील नं. 87/2025 दिनांकित 07.01.2025 व तरून कुमार मांझी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य** के मामलों में पारित विधि व्यवस्था का सादर अवलोकन किया। उपरोक्त विधि

व्यवस्थाओं में मुख्य रूप से यह अवधारित किया गया है कि वाहन स्वामिनी को संबंधित वाहन की अभिरक्षा का अधिकार है जब तक कि वह खुद आरोपी न हो अथवा संबंधित अपराध में उसकी सक्रिय संलिप्तता साबित न हो। उपरोक्त के अतिरिक्त **मतलूब हुसैन बनाम उ.प्र. राज्य 2025 (1) J.Cr.C. 791 के मामलें में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद कोर्ट** द्वारा भी यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि यदि प्रश्नगत वाहन के जब्ती का यदि कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा वाहन बिना आधार थाने में खड़ा किया गया है, ऐसी स्थिति में तुरंत अवमुक्त किया जाना चाहिये। थाने से प्राप्त आख्यानुसार प्रश्नगत वाहन को विधिसम्मत तरीके से धारा 8/21 एन.डी.पी.एस एक्ट व धारा 207 एम.वी एक्ट में कार्यवाही करते हुये जब्त कर थाना हाजा पर खड़ा होना बताया गया है।

7. प्रस्तुत अपराध से संबंधित पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्तगण राजू उर्फ सतेन्द्र व नितिन बाबू के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है जिनको घटना के समय वाहन के साथ होना बताया गया है। आवेदिका सरोज को न तो प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है और न ही दौरान विवेचना उसकी संलिप्तता पायी गयी है।

आवेदिका द्वारा प्रश्नगत वाहन का स्वंय को स्वामिनी होना बताया गया है तथा स्वामित्व के संबंध में संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट, इंशोरेंश की मूल प्रति व छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की गयी है जिनके अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रश्नगत वाहन सं. UP 76 AQ 2964 M-CYCLE/SCOOTER वाहन के स्वामिनी के रूप में सरोज का नाम अंकित है और उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन सरोज के नाम से हुआ है। ट्रासपोर्ट डिपार्टमेन्ट उ.प्र. द्वारा निर्गत परमिट पर भी प्रश्नगत वाहन स्वामिनी के रूप में सरोज का नाम अंकित है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका सरोज की संलिप्तता अपराध में नहीं बतायी गयी है और जिस समय प्रश्नगत वाहन निरूद्ध किया गया, उस समय सरोज न तो वाहन पर मौजूद थी और न ही उनके द्वारा वाहन का चालन किया जा रहा था। वाहन के संबंध में यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि वाहन स्वयं कोई गलती नहीं करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाहन को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में विधि व्यवस्था **सुन्दरलाल अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य 2003 (1) जे०आई०सी० 615** में अवधारित किया गया है कि गाड़ियों को थाने में खड़ी रहने से राष्ट्रीय क्षति होती है तथा राष्ट्रहित में वाहन को रिलीज कर दिया जाना चाहिए। इसी मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया है कि धारा 451 दं.प्र.सं. में विहित शक्तियों का प्रयोग न्यायपूर्ण तरीके से यथासिद्ध किया जाना चाहिए और पुलिस स्टेशन में निररुद्ध वाहन के संबंध में यथाशीघ्र न्यायालय को निर्णय लेना चाहिए। वाबत लम्बे समय तक पुलिस स्टेशन में नहीं रोकना चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अद्यतन विधि व्यवस्था क्रिमिनल अपील नं० **87/2025 BISHWAJIT DEY Vs THE STATE OF ASSAM** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा 23 में यह अवधारित किया गया है कि

"In the absence of any specific bar under the NDPS Act and in view of Section 51 of NDPS Act, the Court can invoke the general power under Sections 451 and 457 of the Cr.P.C. for return of the seized vehicle pending final decision of the criminal case. Consequently, the trial Court has the discretion to release the vehicle in the interim. However, this power would have to be exercised in accordance with law in the facts and circumstances of eacth case."

इसी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वाहन को सीज किये जाने एवं जब्त किये जाने के संबंध में पैरा 21 में यह अवधारित किया गया है कि

"Upon a reading of the NDPS Act, this Court is of the view that the seized vehicles can be confiscated by the trial court only on conclusion of the trial when the accused is convicted or acquitted or discharged. Further, even where the Court is of the view that the vehicle is liable for confiscation, it must give an opportunity of hearing to the person who may claim any right to the seized vehicle is not liable to confiscation if the owner of the seized vehicle can prove that the vehicle was used by the accused person without the owner's knowledge or connivance and that he had taken all reasonable precautions against such use of the seized vehicle by the accused person."

8. प्रस्तुत मामले में निरूद्ध वाहन पंजीकृत स्वामिनी सरोज का होना बताया गया है जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र मूल रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत वाहन के स्वामित्व के सम्बन्ध में अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कोई क्लेम नहीं किया गया है। प्रकरण से संबंधित वाद विचारण हेतु लंबित है जिसमें अभियुक्त के दोषी होने अथवा दोषमुक्त होने के संबंध में इस स्तर पर कोई राय नहीं बनायी जा सकती। प्रश्नगत वाहन एक यांत्रिक वस्तु है जिसके थाने में रहने से उसकी गुणवत्ता (कलपुर्जे आदि) एवं मूल्य में ह्रास आना स्वाभाविक है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा माननीय सर्वोच्च् न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामले में दिये गये दिशा निर्देष को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत वाहन शर्तों के अधीन उसके पंजीकृत स्वामिनी की सुपुर्दगी में दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदिका सरोज द्वारा मुवलिग 1,50,000/- रूपये (एक लाख पच्चास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की एक जमानत दाखिल करने पर वाहन सं० UP 76 AQ 2964, चेसिंस नं० ME3J3C5FKP2005882 माल स्वामिनी सरोज के हक में निम्न शर्तों के अधीन अवमुक्त/शुपुर्द किया जाता है।

1- माल स्वामिनी प्रश्नगत वाहन को वाद के अंतिम निस्तारण तक न तो विक्रय करेगी और न ही उसके रंग रूप अथवा भौतिक स्वरूप में परिवर्तन करेगी।

2- माल स्वामिनी प्रश्नगत वाहन की पहचान बनाये रखेगी और उसे किसी भी प्रकार से विक्रित नहीं करेगी और न ही कोई क्षति कारित करेगी।

3- वाद के दौरान अथवा वाद के अंतिम निस्तारण के समय यदि न्यायालय द्वारा वाहन को तलब किया जाता है तो माल स्वामिनी प्रश्नगत वाहन न्यायालय में प्रस्तुत करेगी।

दिनांक- 12.03.2026

ACHCHHE LAL SAROJ

Digitally signed by ACHCHHE LAL SAROJ
Date: 2026.03.14 15:01:40 +0530

(अच्छे लाल सरोज)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं० 1 ,मैनपुरी।